अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत क्रमॉक–1 पर अंकित कार्य हेतु कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर में श्रेणी–सी व डी के पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों से तथा क्रमॉक–2 पर अंकित कार्य हेतु निर्माता कम्पनी/आपूर्तिकर्ता फर्म/अधिकृत विक्रेता से निविदा दिनॉक– जनवरी, 2020 को अपरान्ह 12.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। निर्धारित तिथि को समयान्तर्गत प्राप्त निविदाओं को दिनॉक–29 जनवरी, 2020 को ही 12.30 बजे तहसील कसया सभागार/कसाडा कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। कार्य का विवरण निम्नवत् हैः–

क्रमॉक	कार्य स्थल/कार्य का नाम	कार्य की लम्बाई/सं0	अनुमानित लागत	धरोहर राशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम मधुरिया, तहसील–कसया, जनपद–कुशीनगर स्थित कुकुत्था नदी के किनारे मेडिटेशन हट्स का निर्माण कार्य।	5 मीटर/एक नग	01.97 लाख	0.20	200	एक माह
2	कुकुत्था नदी के आस–पास तीन अदद सोलर हाईमास्ट लाईट/संयंत्रों (सोलर पैनल **3x110** वाट बैट्री **3x50** एएच, पोल, ल्यूमनर 03 अदद, अन्य हार्डवेयर, वायर, 05 वर्ष कम्प्रीहेंसिंव वारण्टी सहित) की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	03 नग	03.64 लाख	0.37	400	एक माह

नोटः–कार्य से संबंधित विस्तृत विवरण तथा नियम एवं शर्ते कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की वेबसाईट **www.ksadakushinagar.in/** व कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन संबंधी समस्त सूचना उक्त वेबसाईट व कार्यालय नोटिस बोर्ड पर ही उपलब्ध होगी।

निविदा की शर्तेः–

1. निविदादाता/फर्म द्वारा संबंधित प्रपत्र, प्रमाण–पत्र व अभिलेख सहित कालम–5 व 6 में अंकित धनराशि से संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 व डिमाण्ड ड्राफ्ट आदि कार्यालय में नियत तिथि को नियत समय के पूर्व उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
2. निविदा की फाइनेन्शियल/प्राइज बिड के साथ रू0–100/– के नानजूडिशियल स्टैम्प पेपर पर रू0–1/– का रसीदी टिकट लगा कर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। इससे पहले निविदा/ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
3. निविदा प्रपत्र प्राधिकरण कार्यालय में नकद शुल्क जमा कर दिनॉक–28.01.2020 तक प्राप्त किया जा सकता है।
4. निविदादाता को धरोहर धनराशि के रूप में (कॉलम–6 के अनुसार) प्राधिकरण कोष में एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के माध्यम से जमा करना होगा। धरोहर धनराशि पोस्ट ऑफिस/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत प्रतिभूति के रूप में सचिव, कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर के पक्ष में बंधक होना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी/धरोहर धनराशि के रूप में बैंक गारन्टी मान्य नहीं होगी।

Scanned by CamScanner

5. क्रमॉक–2 पर अंकित कार्य हेतु उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा जारी नियमों/शासनादेशों का अनुपालन करना होगा। निविदादाता को निविदा क्रय से पूर्व "क"–श्रेणी पंजीकृत/अनुमोदित उ0प्र0 विद्युत सुरक्षा निदेशालय लखनऊ द्वारा वर्ष 2019–2020 का विद्युत लाईसेंस होना आवश्यक है। यह नियम केवल निर्माता कम्पनी के लिये मान्य नही है, लेकिन यदि निविदा कम्पनी द्वारा क्रय किया जाता है तो लाईन शिफि्टंग इत्यादि का कार्य "क"–श्रेणी लाईसेंस होल्डर से कराया जाना आवश्यक होगा।

6. क्रमॉक–2 पर अंकित कार्य हेतु कार्य का अन्तिम बिल होने से पूर्व किसी प्रकार चोरी, क्षतिग्रस्त, टूट–फूट की समस्त जिम्मेदारी फर्म की स्वयं होगी। चोरी के केस में फर्म द्वारा स्वयं नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

7. अनुबन्ध के समय निविदादाता से इस आशय का घोंषणा पत्र लिया जायेगा कि उनके द्वारा अनुबन्ध को सबलैट नहीं किया जायेगा।

8. सामग्री/कार्य की मात्रा आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है, जिसके लिये निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

9. निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्यस्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी।

10. निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय निविदा प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग अथवा किसी अन्य कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

11. निविदा कमेटी द्वारा प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले विधिवत परीक्षण किया जायेगा कि वॉछित अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं या नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोष जनक होने की स्थिति में निविदादाता की फाइनेन्सियल बिड नहीं खोली जायेगी।

12. सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी। तत्पश्चात पात्र पायी गयी निविदाओं की वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

13. अनुबन्धकर्ता निविदादाता के बीजकों से नियमानुसार आयकर, लेबरसेस, जी0एस0टी0 कर एवं तत्समय अन्य प्रचलित करों की कटौती की जायेगी।

14. निविदादाता द्वारा निम्न जानकारी/अभिलेख उपलब्ध कराना अनिवार्य होगाः–

क. वैध पंजीयन की प्रति
ख. चरित्र प्रमाण पत्र
ग. हैंसियत प्रमाण पत्र
घ. वर्तमान में चल रहे कार्यों की सूची।
ड. संस्था के प्रकरण में पार्टनर शिप डीड के अनुबन्ध की अभिप्रमाणित प्रति।
च. जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र

15. इस निविदा को बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कसाडा, कुशीनगर के पास सुरक्षित रहेगा।

16. प्राधिकरण में कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी के सगे–सम्बन्धी ठेकेदार इस निविदा को खरीद एवं डाल नहीं सकते हैं, ऐसा पाये जाने पर उनकी निविदा निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

17. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध होभी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

18. कोई निविदादाता, जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रकिया में भाग नहीं ले सकेगा। शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

19. राज्य बार काउंसिल मे पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रकिया में भाग नहीं ले सकेंगें। शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

20. यदि कोई निविदा दाता निर्धारित विधि एवं प्रकिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।

21. विशेष परिस्थिति में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना कार्यालय नोटिस बोर्ड तथा कसाडा की उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

22. अनुबन्ध गठित हो जाने के पश्चात भी यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर पर उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।

23. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।

24. कार्य के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

25. फर्म को नियमानुसार अनुबन्ध निस्पादित कराना होगा।

(अभिषेक पाण्डेय)
ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट/सचिव,
कसाडा–कुशीनगर।

कार्यालय कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर–कसया

पत्रॉक– 629 /कसाडा–2019–20, दिनॉक–22 जनवरी, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नलिखितकोसूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाहीहेतुप्रेषित–

1. अध्यक्ष, कसाडा/मण्डलायुक्त महोदय गोरखपुर।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. प्राधिकरण वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(अभिषेक पाण्डेय)
ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट/सचिव,
कसाडा–कुशीनगर।

Scanned by CamScanner